मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodh Gaya

समझौता पत्र

मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के द्वारा दिनांक 10/11/2022 से किये जा रहे अंनशन को समाप्त करने के लिए माननीय कुलपति के द्वारा आज दिनांक 18/11/2022 को शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदाधिकारी के साथ वार्ता किया गया जिसमें निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी।

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना C.W.J.C. No. 10970/2022 में पारित न्यायादेश के अनुपालन करने हेतु।

निर्णयः—माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जायेगा।

2. पांच लाख छात्रों का भविष्य को बचाते हुए सभी परीक्षाओं का सत्र नियमित किया जाय।

निर्णयः— इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु परीक्षा नियंत्रक को दिशनिर्देश दी गई है।

3. सभी डिग्री धारक छात्रों को अविलम्ब उनका मूल प्रमाण निर्गत किया जाय।

निर्णयः— सभी डिग्री पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है। कोई भी डिग्री पेंडिंग नहीं है।

4. सेवानिवृत एवं मृत कर्मियों को पेशंन का भुगतान नियमित किया जाये तथा बकाये राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाय।

निर्णयः— राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा।

5. अनुकम्पा समिति की बैठक करने हेतु।

निर्णयः— जनवरी माह में तिथि का घोषणा कर दिया जायेगा।

महासचिव 18.11.2022	अध्यक्ष 18/11/22	कुलानुशासक 18-11-2022	कुलसचिव 18.11.22	माननीय कुलपति 18.11.22

6. शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा समपुष्टी करने हेतु।

निर्णयः— जनवरी माह में तिथि का घोषणा कर दी जायेगी।

7. शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति हेतु।

निर्णयः— जनवरी माह में तिथि का घोषणा कर दिया जायेगा।

8. कुलपति / कुलसचिव / एवं सभी पदाधिकारी मुख्यालय में आकर कार्य करें।

निर्णयः— स्थिति सामान्य होने पर मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे।

9. स्थानान्तरण को तीन साल पर सुनिश्चित किया जाय।

निर्णयः— नियमानुसार इस पर कार्य को किया जायेगा।

10. मगध विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों एवं दरवानों का जलपानभत्ता का स्वीकृति / भुगतान हेतु।

निर्णयः— शाखा के पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित किये जाने पर स्वीकृति दी जायेगी।

11. कर्मियों के चिकित्सा से संबंधित संचिका पर त्वरित कार्यवाई हो।

निर्णयः— संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाई की जायेगी।

12. मगध विश्वविद्यालय, मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान माह के पहले सप्ताह में करने हेतु।

निर्णयः— राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के बाद 10 दिनों के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. तीन कर्मियों के रोके गये वेतन का भुगतान एवं उनके समस्याओं का निदान सुनिश्चित किया जाये।

निर्णयः— नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी साथ ही धरना में सम्मिलित कर्मियों की छुट्टी अर्जित अवकाश में समायोजन कर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

14. आमरण अंनशन में सम्मिलित कर्मियों को उनके लंबित छुट्टी को समायोजित कर लिया जायेगा।

महासचिव	अध्यक्ष	कुलानुशासक	कुलसचिव	माननीय कुलपति
18.11.2022	Amitesh 18/11/22	18-11-2022	18.11.22	18.11.22